योगेश कुमार बनाम अधिशाषी अधिकारी वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र 136 LR मु.न. 7/2022
	दार श्रीमाधोपुर व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर को तहरीरें आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 17-02-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
17-2-2022 261-62/रीडर 17-2-2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर व अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका श्रीमाधोपुर से चाही गई मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर को पुनः स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 23-02-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
23.02.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 457/भू.अ./2022 दिनांक 21.02.2022 के द्वारा एंव अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 4651/न.पा. श्रीमा/2021–22 दिनांक 22.02.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर एंव अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गयी। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वक[illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर [illegible] से निर्णित किया जाता है। [illegible] किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 23/02/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.25 14:39:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
07 / 2022	2022 / 39	08.02.2022	23.02.2022

उनवान प्रकरण

योगेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल आयु 47 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 35 कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रार्थी

बनाम्

1. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा एड0 – प्रार्थी की ओर से
श्री रक्षपाल स्वामी एड0– अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 19[illegible] तहत ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) [illegible] रकबा 0.1000 चाही 1 दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जिसकी [illegible] नगरपालिका श्रीमाधोपुर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.25 14:39:44 IST
Reason: SelfAttested

23/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सीकर (राज0) के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त भूमि मौके पर आबादी के रूप में काम मे आ रही हैं। मौके पर सम्पूर्ण भूमि का उपयोग आबादी के काम में आ रही हैं जो आवासीय प्रयोजन हैं परन्तु उक्त भूमि की किस्म राजस्व कर्मचारियों यथा सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सहवन से उक्त भूमि की किस्म चाही 1 दर्ज कर दी गई हैं। जो कतई गलत हैं। जिसे दुरूस्त किया जाकर भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। उक्त भूमि पर काफी समय से आबादी बसी हुयी हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के यहां कई बार उपस्थित होकर उक्त भूमि की किस्म आबादी दर्ज कराने हेतु निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में चाराजोही कर रिकार्ड में शुद्वि कराने हेतु कहां गया। इस कारण प्रार्थी द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। उक्त प्रार्थना पत्र का न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 141/2 रकबा 0.1000 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की दर्ज किस्म चाही–1 के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री रक्षपाल स्वामी एड0 उपस्थित आये एंव अप्रार्थी सं0 2 (तहसीलदार) का नोटिस असालतन तामील होकर आने व डाकघर की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश हो चुकी है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर से वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 141/2 रकबा 0.1000 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर के मौके की वास्तविक व भौतिक रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर संयुक्त टीम से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इस न्यायालय के पत्रांक 181–82/रीडर/2022 दिनांक 10.02.2022 के द्वारा चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 457/भू.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.25 14:39:44 IST
Reason: SelfAttested

23/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमि की दर्ज किस्म चाही–1 के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज किया जाकर शुद्धि करना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 141/2 रकबा 0.1000 हैक्टर की दर्ज किस्म चाही–1 के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी ...पुर (सीकर)

23/02/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/02/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.25 14:39:44 IST
Reason: SelfAttested